आर.ई.ओ–26

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

क्र.जे.पी.डी / उपमु.अ.(आर.ई) / अ.अ (आर.ई) / प.1201 / प्रे 912 दिनांक 22/7/2010

आदेश

विषय :– भविष्य में कृषि कनैक्शन जारी करने के कम में ।

निगम से जारी आदेश कमांक 989 दिनांक 27.05.2010 (आर.ई.ओ. 214) के बिन्दू संख्या 1 में भविष्य में जारी होने वाले सभी कृषि कनेक्शन हेतु आवेदक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार रेटिंग वाले एनर्जी एफीशियेन्ट पम्प सेट कृषि कनैक्शन जारी होने से पूर्व लगाना आवश्यक किया गया था। यह आदेश उर्जा विभाग राजस्थान सरकार के पत्र कमांक 12(10) उर्जा /2006 दिनांक 25.05.2010 की अनुपालना में जारी किये गये थे।

इसी कम में उर्जा विभाग राजस्थान सरकार के पत्र कमांक 12(10) उर्जा /2006 दिनांक 28.06.2010 द्वारा अब निम्न प्रकार आदेश दिये गये हैं:–

भविष्य में जारी होने वाले सभी कृषि कनैक्शन हेतु आवेदक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार रेटिंग वाले एनर्जी एफीशियेन्ट पम्प सेट कृषि कनैक्शन जारी होने से पूर्व लगाना आवश्यक होगा लेकिन अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित पम्प सेट खास क्षमता का उपलब्ध नही है तो इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

उपरोक्त में छूट के लिए मुख्य अभियंता (पवस) को अधिकृत किया जाता है।

आदेश की अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी ।

22/7/2010

(ए.के. शर्मा)

उप मुख्य अभियंता (आर.ई)

G:\REO-205.doc 16